

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 461/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 19.12.2025

थाना – जीयनपुर | जनपद – आजमगढ़

दिनांक – 19.12.2025

पुलिस मुठभेड़ में गोमांस तस्करी करने वाला शातिर अपराधी घायल/गिरफ्तार, अवैध असलहा, प्रतिबंधित मांस एवं घटना में प्रयुक्त चार पहिया वाहन बरामद, अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व से चोरी व गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे दर्ज

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ 0 अनिल कुमार के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी सगड़ी श्री अनिल कुमार वर्मा के पर्यवेक्षण में आज दिनांक 19.12.2025 को थाना जीयनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए 01 गोतस्कर अशहद पुत्र नौशाद, निवासी चांदपार, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़ को पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया।

पुलिस मुठभेड़/गिरफ्तारी का विवरण:

दिनांक 19.12.2025 को समय लगभग 13:35 बजे थाना जीयनपुर क्षेत्रान्तर्गत केशवपुर (वन विभाग कार्यालय के पास) पुलिस चेकिंग के दौरान अभियुक्त आजमगढ़ की ओर से जीयनपुर की ओर जा रहा था। पुलिस को देखकर अभियुक्त द्वारा भागने का प्रयास किया गया तथा पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया, जिसे तत्काल पुलिस हिंसत में लेकर उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

► □ घायल अभियुक्त की पहचान अशहद पुत्र नौशाद, निवासी चांदपार, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़ के रूप में हुई।

घायल अभियुक्त के कब्जे से

- एक अदद नाजायज तमंचा 315 बोर
- एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर
- दो अदद जिंदा कारतूस 315 बोर
- एक अदद चार पहिया वाहन स्विफ्ट ZXI संख्या MH04DR3273
- प्रतिबंधित मांस (गोमांस) – 19 किलोग्राम
- नकद ₹1400/- बरामद किया गया।

पूछताछ का विवरण:

पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह ग्राम के सिवान/एकांत स्थानों में गोवंश का अवैध रूप से वध करता था। वध के उपरान्त प्रतिबंधित मांस को छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित कर चार पहिया वाहन के माध्यम से चोरी-छिपे विभिन्न स्थानों पर ले जाकर फुटकर में बिक्री करता था, ताकि किसी को संदेह न हो। अभियुक्त द्वारा यह भी बताया गया कि वह पुलिस की नजर से बचने के लिए स्थान व समय बदल-बदलकर बिक्री करता था तथा ग्राहकों से नकद धनराशि प्राप्त करता था।

आपराधिक इतिहास:

- मु0अ0सं0 05/2024 धारा 380/411/457 भाद्रि, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़
- मु0अ0सं0 79/2025 धारा 3(1)/2(बी)1 उ0प्र गैंगस्टर एक्ट, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़

मुठभेड़ में शामिल पुलिस टीम:

1. प्रभारी निरीक्षक राजकुमार सिंह, थाना जीयनपुर
2. वरिष्ठ उपनिरीक्षक परमात्मा मिश्रा, थाना जीयनपुर
3. उपनिरीक्षक अजय यादव, चौकी प्रभारी अजमतगढ़
4. कां0 अक्षय प्रसाद
5. कां0 मनीष खरवार
6. कां0 अवधेश कुशवाहा
7. कां0 ज्ञानेन्द्र गुप्ता
8. कां0 विन्देश गोड़

(सभी थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़)

